



393



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2013 पुनरीक्षण

R 3555-J/13

श्री. राज. को. कार्यालय, अजयपुर
द्वारा आज दि. 25.9.13 को
प्रस्तुत

25913
क्लर्क अ. फ. कीर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मानंद पुत्र फौसू जाटव
2. विसो पुत्री फौसू जाटव
3. रामो पुत्री फौसू जाटव
(फोट) वारिसान-

1. नेकराम पुत्र सामलिया
2. चेताराम पुत्र सामलिया
3. रघुवर पुत्र सामलिया
4. प्रीतम पुत्र सामलिया

सभी निवासी रानीपुरा पहाडी
तहसील-सबलगढ़ जिला-मुरैना

5. बैकुण्ठी पुत्र सामलिया पत्नी नेकराम
निवासी-मांगरौल तहसील-सबलगढ़
जिला-मुरैना

4. कंचन वेवा रामप्रसाद
5. जगन्नाथ पुत्र रामप्रसाद
6. कला पुत्री रामप्रसाद
- 7 उर्मिला पुत्री रामप्रसाद

निवासीगण बैनीपुरा तहसील-सबलगढ़
जिला-मुरैना

विरुद्ध

धनपाल पुत्र फौसू जाटव
निवासी ग्राम-बैनीपुरा

तहसील-सबलगढ़ जिला-मुरैना


अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला-मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक
24/11-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 10-09-2013 के विरुद्ध पुनरीक्षण
अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3555-एक/13

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	